

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रार्थना पत्र संख्या 25/2024 GCMS 2024/190
अन्तर्गत धारा 136

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उनवानी सरबती बनाम भू-स्वामी जरिये तहसीलदार खेतड़ी

03.07.2024

तहसीलदार खेतड़ी से उनके पत्रांक भू0अ0/2024/2073
दिनांक 05.06.2024 से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली रिकार्ड
तलब होकर आज पेश हुई। जांच रिपोर्ट शामिल पत्रावली की
गई। अधिवक्ता प्रार्थीया के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थीया
सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व
तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन
किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थीया के नाम की त्रुटि न
तो भू प्रबन्ध विभाग की है तथा न ही कोई लिपिकीय त्रुटि है।
प्रार्थीया का वर्तमान नाम जमाबन्दी में विरासत नामान्तरकरण से
दर्ज हुआ है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना
पत्र धारा 136 के अन्तर्गत बनना नहीं पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :-

अतः प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट
1956 के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया
जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया
गया।



(सविता शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी